



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 367 राँची, शुक्रवार,

5 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

22 जून, 2022

संख्या-11/क०च०आ०-02-04/2016 का० 3791--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक 500 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन हेतु जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 31.05.2022 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन हेतु जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं का पाठ्यक्रम तैयार करने के निमित्त निदेशक, डॉ० राम दयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, राँची की अध्यक्षता में भाषाविदों/शिक्षाविदों की एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:

-
- | | | | |
|--------|---|---|---------|
| (i) | निदेशक, डॉ० राम दयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, राँची । | - | अध्यक्ष |
| (ii) | डॉ० के०सी० टुडू, से०नि० विभागाध्यक्ष, संथाली भाषा विभाग, सम्प्रति जनजातीय भाषा विभाग, संत जेवियर कॉलेज, राँची । | - | सदस्य |
| (iii) | डॉ० हरि उराँव, विभागाध्यक्ष उड़िया भाषा, राँची विश्वविद्यालय । | - | सदस्य |
| (iv) | डॉ० सोमा सिंह मुण्डा, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, डॉ० राम दयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, राँची । | - | सदस्य |
| (v) | डॉ० एच०एन० सिंह, प्राध्यापक (से०नि०), कुरमाली भाषा, टी०आर०एल० विभाग, राँची विश्वविद्यालय । | - | सदस्य |
| (vi) | डॉ० सविता केसरी, प्राध्यापक (नागपुरिया), महिला कॉलेज, राँची । | - | सदस्य |
| (vii) | डॉ० विनोद कुमार, विभागाध्यक्ष खोरठा, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वि०वि०, राँची । | - | सदस्य |
| (viii) | डॉ० निवेदिता सेन, विभागाध्यक्ष, बंगला विभाग, राँची विश्वविद्यालय । | - | सदस्य |
| (ix) | डॉ० जमशेद कमर, पूर्व विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, राँची विश्वविद्यालय । | - | सदस्य |

3. उपरोक्त गठित समिति आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा विशेषज्ञों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी ।

4. समिति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के पत्र 2 में शामिल क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के लिए पूर्व से निर्धारित पाठ्यक्रम में समरूपता का मूल्यांकन/समीक्षा कर अपेक्षित सुझाव/अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएगी ।

5. समिति निर्दिष्ट विषयों पर समुचित कार्रवाई करते हुए पन्द्रह दिनों के अन्दर पाठ्यक्रम तैयार कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रतिवेदन सौंपेगी ।

6. समिति के सदस्यों एवं आमंत्रित विशेषज्ञों को नियमानुसार निर्धारित मानदेय/T.A./D.A./पाठ्यक्रम तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अनुमान्य राशि का भुगतान डॉ० राम दयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, राँची के माध्यम से किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमर कुमार,
सरकार के उप सचिव ।
